

प्रेषक,

सदाकान्त  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ

2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास,  
उत्तर प्रदेश।

4. नियंत्रक प्राधिकारी  
समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2015

विषय : ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।


महोदय,

सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को क्रमशः 10-10 प्रतिशतकुल (20 प्रतिशत) आवासों का निर्माण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:3188/आठ-1-13-80विविध, दिनांक 05.12.2013 द्वारा नीति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्ताव-2(vii) "भवनों के आवंटन की प्रक्रिया" के सम्बन्ध में प्राविधानित व्यवस्थानुसार शासनादेश संख्या-1/2418/आठ-1-14-80विविध/2010 दिनांक 26.08.14 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक निर्गत उपर्युक्त शासनादेश संख्या-1/2418/आठ-1-14-80विविध/2010 दिनांक 26.08.14 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (1) आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश दिनांक 05.12.13 द्वारा निर्गत नीति में प्राविधानित व्यवस्थानुसार भवनों के आवंटन की प्रक्रिया निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 26.08.14 की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। अर्थात् भवनों के आवंटन की प्रक्रिया विषयक शासनादेश दिनांक 26.08.14 के जारी होने के पूर्व भवनों के आवंटन आदि के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही कर ली गयी है, तो वह मान्य रहेगी और इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस शासनादेश के अनुसार की जायेगी।
- (2) भवनों के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही उनका आवंटन किया जा सकेगा, ताकि लाभार्थी को आवंटन की जानकारी रहे।


- (3) आवंटन की तिथि के 03 साल के भीतर भवन पूर्ण कर लाभार्थी को भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।
- (4) भवनों की कीमत आवंटन की तिथि को निर्धारित कीमत ही रहेगी अर्थात् निर्माण में विलम्ब की स्थिति में मूल्य वृद्धि नहीं होगी।
- (5) भवन निर्माण की समानुपातिक निर्माण की प्रगति के अनुसार जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होगा, आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से भवन मूल्य का भुगतान किया जायेगा।
- (6) आवंटन की तिथि से 03 साल में भवन का निर्माण न होने पर अर्थात् डिफाल्ट की स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि का 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी व अनुबन्ध के अनुसार विकासकर्ता पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(सदाकान्त)  
प्रमुख सचिव

संख्या: (1)/आठ-1-15-80विविध/10 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास एवं निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश।
- 2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, अनुश्रवण, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अतकाल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(शिव जनम चौधरी)  
संयुक्त सचिव